राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/वाहन चालक/2020–21/382 दिनांक : 15/06/20

सीमित निविदा प्रस्ताव

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर मुख्यालय के राजकीय वाहन हेतु एक कुशल वाहन चालक हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है। अतः इच्छुक फर्मे अपना प्रस्ताव दिनांक 19.06.2020 को अपराह्न 02.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र "अ" में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय
1	वाहन चालक सेवा	01	1.10 लाख	19.06.2020 अपराह्न 02.00 बजे

निविदा प्रपत्र निगम की **website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि निगम की वेबसाइट http://rmsc.health.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/वाहन चालक/2020–21/ 382 दिनांक : 15/06/20

प्रपत्र "अ"

वित्तीय निविदा प्रपत्र

फर्म/संस्थान का नाम व पता ....

....

कार्य का नाम : वाहन चालक सेवा

दर का विवरण

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि ₹ मासिक दर प्रति इकाई (सर्विस चार्ज सहित)	GST %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वाहन चालक	01 (एक) श्रेणी कुशल	6058.00		नियमानुसार	नियमानुसार			

नोटः– निविदादाता द्वारा उक्त सारणी के कॉलम संख्या 5, 8, 9 तथा 10 को ही भरना है।
यदि राज्य सरकार द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई. की दरों में कमी/वृद्धि की जाती है तो समय–समय पर जारी दरों के अनुसार ही कटौतियों का भुगतान देय होगा।

उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी शर्तों एवं किए जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की जानकारी प्राप्त कर ली गई है एवं उपरोक्त सभी शर्तें हमें मान्य है।

हस्ताक्षर सेवा प्रदाता मय नाम
व पूरा पता रबर स्टाम्प सहित

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/वाहन चालक/2020–21/382 दिनांक : 15/06/20

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय जयपुर पर वाहन चालक की सेवा हेतु सीमित निविदा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अनुरोध

निगम द्वारा निगम मुख्यालय पर उपलब्ध एम्बेसेडर कार/मारूति सुजुकी स्विफ्ट् डिजायर के चालन हेतु वाहन चालक की सेवा हेतु सेवा प्रदाता फर्म/संस्था जिन्हें सेवाएँ प्रदान करने के कार्य का अनुभव हो से सीमित निविदा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुरोध किया जाता है:–

ऐसी फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिसे सेवा प्रदान करने के कार्य का एक या अधिक राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम/भारत सरकार/भारत सरकार के उपक्रम में न्यूनतम एक साल या अधिक का अनुभव रहा हो।निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। इच्छुक फर्म/सेवा प्रदाता ऐजेन्सी दिनांक 19.06.2020 को अपरान्ह् 02.00 बजे तक संलग्न प्रपत्र में निविदा प्रस्ताव राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत कर सकती है।

1. **कोटेशन के लिए वांछित पात्रता**

➢ सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

- फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम 1 सरकारी विभाग/उपक्रम में सेवाएँ प्रदान करने का कार्यानुभव विगत 2 वर्षों का होना अनिवार्य है।
- सरकारी विभाग/उपक्रम द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र।
- सेवा प्रदाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह वाहन चालकों की सेवाओं के लिए वांछित वाहन चालक का लाइसेन्स, अनुभव तथा पहचान से संबंधित दस्तावेजों की पूर्व जाँच करना सुनिश्चित कराएँ।

2. **कार्यो का विवरण :**
   - निगम में उपलब्ध वाहन यथा एम्बेसेडर एवं मारूति सुजुकी स्विफ्ट् डिजायर का चालन।
   - राजपत्रित अवकाश को भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदान करनी होगी।
   - सेवा का समय सामान्यतया 9.00 बजे से 7.00 बजे तक होगा परन्तु, वाहन चालन सेवा संबंधित अधिकारी को आवंटित वाहन के चालन हेतु सुबह कार्यालय समय से पूर्व तथा सायं कार्यालय समय के पश्चात् तक अपनी सेवाएँ प्रदान करनी होगी।

3. **उत्तरदायित्व :**

   वाहन चालक की लापरवाही से वाहन की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम /अधिनियम/उपनियम के उल्लघंन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए वाहन चालक की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। सफल सेवा प्रदाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।

4. **अनुबन्ध :**

   निगम द्वारा कोटेशन स्वीकार किए जाने पर सेवा प्रदाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार उचित राशि **₹** 500.00 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा। जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षों को उक्त अनुबन्ध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि सेवा प्रदाता उक्त शर्तों का उल्लंधन करता है तो अनुबन्ध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबन्धकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा।

5. **अनुबन्ध की अवधि :**

   अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश की तिथि से **9 माह अथवा जुलाई 20 से मार्च 21 तक के लिए मान्य होगी।** सेवा प्रदाता का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्ध अवधि 03 माह के लिए बढाई जा सकती है।

6. **भुगतान की शर्तें :**

   बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल सेवा प्रदाता को प्रतिमाह प्रभारी अधिकारी, वाहन पूल से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करना होगा। जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाए जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से सेवा प्रदाता को किया जाएगा।

7. **भुगतान की जिम्मेदारी :**

   निगम "वाहन चालन" के लिए वाहन चालक को किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाए जाने पर भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को नियमानुसार TDS की कटौति कर किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा ही सेवाओं के बदले चालक को भुगतान किया जाएगा।

8. वाहन चालक को भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई. की दरों में वृद्धि की जाती है तो संशोधित दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

9. वाहन चालक के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा वाहन चालक के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची निगम को उपलब्ध करवानी होगी।

10. वाहन चालक की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना मय चालानों की प्रति के अगले माह के बिल के साथ निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में किए गए भुगतान का विवरण भी आगामी माह के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगाः–

S. No .	Name of Driver	UIN No.	Name of Office	Basic Salary	No. Of Present days	Total Salary Payable	Employee's Contribution			Net Amount Paid (7-10)	Employer's Contribution			Total (7+14)	Agency Service Charges	Total (15+16)
							EPF	ESI	Total (8+9)		EPF	ESI	Total (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Total	
															SGST	
															CGST	
															Grand Total	

11. **कार्यादेश का निरस्तीकरण :**

निगम को उक्त अनुबन्ध को किसी भी समय, बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं अनुबन्ध की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल सेवा प्रदाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

मैं/हमने .... उक्त अनुरोध पत्र की शर्तों को भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त शर्तों का पूर्ण रूप से पालन हेतु कटिबद्ध है।

दिनांक

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर
तथा सील, यदि हो